

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 224 / 2021

रामोतार मीणा, निवासी ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनू, पिनकोड 333024, मो0न0 9983644723

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू।

— —  
सूचना का अधिकार अधिनियम  
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 11.11.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 224 / 2021 पर दिनांक 21.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 3435-36 दिनांक 21.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू ने पत्रांक रीडर/आरटीआई/2021/607 दिनांक 09.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री रामोतार मीणा ग्राम पोस्ट भडौन्दा खुर्द तहसील झुंझुनू द्वारा दिनांक 21.07.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड झुंझुनू से ली जाकर उक्त सूचना प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आर0टी0आई0 / 2021 / 268 दिनांक 06.10.2021 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनू पत्रांक रीडर/आरटीआई/2021/607 दिनांक 09.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री रामोतार मीणा ग्राम पोस्ट भडौन्दा खुर्द तहसील झुंझुनू द्वारा दिनांक 21.07.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड झुंझुनू से ली जाकर उक्त सूचना प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक आर0टी0आई0 / 2021 / 268 दिनांक 06.10.2021 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयवधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 11.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0खान )  
जिला कलक्टर, झुंझुनू  
जिला कलक्टर झुंझुनू